

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/सहा..पंप्रअ.प्रप्रअ/स्था.पद/पार्ट-3/2019/3181 जयपुर,दिनांक:29/09/19

:: संशोधन आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 3170 दिनांक 29.09.2019 के क्र.सं. 20 श्री दिनेश पालीवाल के विशेष विवरण से "श्री भागीरथ प्रसाद मूड के स्थान पर" को एवं क्र.सं. 21 को विलोपित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

29/9/2019
उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त संबंधित।
5. जिला कलेक्टर संबंधित।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, मूल्यांकन संगठन, कृषि निदेशालय।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
9. संबंधित सहायक सचिवो को पालनार्थ।
10. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
11. आदेश पत्रावली

29/9/2019
उप सचिव एवं उपायुक्त